



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ नाबालिग को बहलाफुसला कर गलत काम करने वाले 02 अभियुक्तों को थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.09.2026 की देर शाम को थाना नरैनी पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ गलत काम करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना नरैनी क्षेत्र के रहने वाली एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के साथ पूर्व परिचित 02 व्यक्तियों द्वारा गलत काम करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी। सूचना प्राप्त होते ही थाना नरैनी पर धारा 137(2)/70(2)/351(3) BNS व 5/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में दोनों अभियुक्तों को महाराजपुर पेट्रोल पंप थाना नरैनी से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में शामिल दो पहिया वाहन बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामहित पुत्र सुल्लन निवासी ग्राम पिस्ता थाना अजयगढ़ जनपद पन्ना (म0प्र0)
2. उमेश उर्फ सज्जन पुत्र भजना ग्राम पिस्ता थाना अजयगढ़ जनपद पन्ना (म0प्र0)।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. श्री भास्कर मिश्रा प्रभारी निरीक्षक नरैनी
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
3. कां0 सुशील सिंह
4. कां0 शेखराजा
5. कां0 आदर्श पाण्डेय